राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः– प. 13(20)कार्मिक/क–2/91पार्ट जयपुर, दिनांकः12–9–07

निर्देश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11.3.99 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि बारां जिले में सभी विभागों के वेतन श्रृंखला 1 से 6 के सभी पद, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के ग्राम सेवक (ग्रुप सचिव) (वेतन श्रृंखला 7) शिक्षा तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सहायक अध्यापक (वेतन श्रृंखला 9), आयुर्वेद विभाग के कम्पाउन्डर/नर्स कनिष्ठ ग्रेड (वेतन श्रृंखला 9), शिक्षा विभाग के शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III (वेतन श्रृंखला 9) की सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों के स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यार्थियों से भरी जाएगी । शेष 75 प्रतिशत रिक्तियां सामान्य नियमों के अन्तर्गत अन्य अभ्यार्थियों से भरी जायेगी ।

राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों में निवासित सहरिया आदिम जाति जंगलों में दुर्गम स्थानों में निवास करती है इसलिये काफी पिछड़ी हुई है व सहरिया परियोजना क्षेत्र में अधिकतर पद रिक्त रहते हैं । अतः राज्य सरकार यह आदेश देती है कि बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यार्थियों से भरी जायेगी और अनुसूचित जन जातियों के लिए 6 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के लिए 8 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी । शेष 51 प्रतिशत रिक्तियां सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों से भरी जायेगी।

रिक्तियों का अवधारण तथा पदों पर भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :–

1– यदि भर्ती खण्ड स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा इनकी संगणना भी खण्ड स्तर पर हो वहां ऐसी समस्त रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों की स्थानीय सहरिया जाति के लिए आरक्षित की जायेगी ।

2– यदि भर्ती जिला स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी जिला स्तर पर की जावे वहां 25 प्रतिशत रिक्तिया बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों के स्थानीय सहरिया आदिम जाति के लिए आरक्षित की जायेगी।

3– यदि भर्ती राज्य स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी राज्य स्तर पर की जावे तो शाहबाद व किशनगंज तहसीलों की कुल जनसंख्या एवं राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर रिक्तियां प्रकल्पित की जाकर उन रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों के स्थानीय सहरिया आदिम जाति के लिए आरक्षित की जायेगी ।

4– यदि भर्ती राज्य स्तर पर की जानी हो तो राज्य की शेष रिक्तियां विद्यमान नियमों के अनुसार अनुसूचित जन जातियों के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 16 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी ।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(लोकनाथ सोनी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान,जयपुर ।
2. विशिष्ठ सहायक, मुख्यमंत्री ।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
4. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास, उदयपुर ।
5. उप शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष ।
7. मंत्रिमण्डल सचिवालय को मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 104/07 दिनांक 12.9.07 के क्रम में ।

(लोकनाथ सोनी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी:–

1. सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा,जयपुर ।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर ।
4. पंजीयक, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
5. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर /जोधपुर ।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव ।

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

जयपुर,दिनांक: 12–9–07

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिये गये निम्नलिखित निर्देश सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं ।

निर्देश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1)के अधीन पंचम अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शीलेन्द्र कुमार सिंह, राज्यपाल, राजस्थान निर्देश देता हूँ कि किसी भी अन्य प्रवृत्त आदेश या नियम या विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 19(2)80–एल–1 दिनांक 12.2.81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी। इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां सामान्य वर्ग से भरी जायेगी ।

रिक्तियों का अवधारण तथा पदों की भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :–

1– जहाँ भर्ती खण्ड स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा इनकी संगणना भी खण्ड स्तर पर की जानी हो, वहाँ ऐसे समस्त रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के लिए आरक्षित की जायेगी ।

2– जहाँ भर्ती जिला स्तर पर की जाती हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी जिला स्तर पर की जानी हो, वहाँ अनुसूचित खण्ड के लिए रिक्तियां, प्रकल्पित रूप से, उस अनुपात के आधार पर अवधारित की जायेगी जो जिलों के अनुसूचित खण्डों की कुल जनसंख्या का जिले की कुल जनसंख्या के साथ है । इस प्रकार प्रकल्पित रूप से अवधारित रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों के एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों से भरी जायेगी ।

3– जहाँ भर्ती राज्य स्तर पर की जाती हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी राज्य स्तर पर की जानी हो वहाँ अनुसूचित क्षेत्र के लिए रिक्तियां प्रकल्पित रूप से, उस अनुपात के आधार पर अवधारित की जाएगी जो राज्य के अनुसूचित क्षैत्र के अनुसूचित खण्डों की कुल जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के साथ है । इस प्रकार प्रकल्पित रूप से अवधारित रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों के एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों से भरी जायेगी ।

4– यदि अनुसूचित क्षैत्र के एक जिले में उपलब्ध रिक्तियों को भरते समय 45 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो सम्पूर्ण अनूसूचित क्षैत्र को एक इकाई के रूप में मानकार किसी जिले/उपखण्ड/विकास खण्ड स्तर पर कोई रिक्ति है और उस जिले/उपखण्ड/विकास खण्ड में जनजाति का योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अनुसूचित क्षैत्र के अन्य जिलों/विकास खण्डों में उपलब्ध स्थानीय जनजाति के योग्य अभ्यार्थियों से ऐसी रिक्तियां भरी जायेगी ताकि 45 प्रतिशत विशेष आरक्षण रखे जाने के उद्देश्य की पूर्ति हो सके ।

5– राज्य स्तर अथवा जिला स्तर पर अनुसूचित खण्डों की रिक्तियों से भिन्न राज्य/ जिले की शेष रिक्तियां विद्यमान नियमों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 16 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा जातियों के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी ।

ह0–
(शीलेन्द्र कुमार सिंह)
राज्यपाल, राजस्थान
(सं. एफ.13(20)कार्मिक/क–2/91पार्ट)

(लोकनाथ सोनी)
शासन उप सचिव